उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या–27/2022–23

सरकार

बनाम्

धर्मेन्द्र कुमार एवं अन्य

–: आदेश :–

नांक 30/9/22

सरकारी वकील एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला ललमटिया थाना काण्ड संख्या–39/2022 दिनांक–23.05.2022 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक–2873/अप0शा0 दिनांक–01.08.2022 से धारा–379/411 भा0द0वि0, 04/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट के तहत निम्नलिखित वाहन कोल माईन्स एक्ट राजसात करने हेतु प्रतिवेदन दिया है।

1. टी0वी0एस0 स्पोर्टस, काला रंग का रजिस्ट्रेशन नम्बर–BR10AK-4771 एवं उस पर लदे कोयला,
2. ब्जाज सीटी 100, ब्लू एवं काला रंग का रजिस्ट्रेशन नम्बर–BR10AB-6072 एवं उस पर लदे कोयला,
3. हीरो सीडी डिलक्स, हरा काला रंग का रजिस्ट्रेशन नम्बर–BR10D-3057 एवं उस पर लदे कोयला।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षीगण से कारण–पृच्छा की मांग की गई। विपक्षीगण के द्वारा कारण–पृच्छा प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षी धर्मेन्द्र कुमार का कथन है कि उक्त गाड़ी नम्बर–BR10AK-4771 से थोड़ा सा कोयला घरेलू उपयोग के लिए ले जा रहा था। विपक्षी पहली बार अनजान में गलती कर लिये हैं। आगे वैसा गलती कभी नहीं करेंगे। विपक्षी कोयला ढोने या बेचने वाला नहीं है। उक्त वाहन बच्चे को स्कूल छोड़ने का एक मात्र साधन है। उनका आगे कहना है कि विपक्षी का पहला गलती है। इसलिए राजसात से मुक्त करते हुए वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाय। विपक्षी जमानतदार देने के लिए तैयार है।

विपक्षी मुकेश साह का कथन है कि विपक्षी उक्त गाड़ी नम्बर– BR10AB-6072 से अपने रिस्तेदार के घर गया था और घर लोटने के

क्रम में ई0सी0एल0 गस्तीदल की मदद से उसे जप्त किया गया। विपक्षी निर्दोष है। उसकी मोटरसाईकिल में कोयला का कोई केश लंबित नहीं है। विपक्षी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा के द्वारा जमानत दे दी गई है। इसलिए जप्ती की कार्रवाई चलाना उचीत नहीं है। उन्होंने जप्त वाहन को राजसात से मुक्त करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी प्रमोद कुमार शर्मा का कथन है कि विपक्षी के नाम से उक्त गाड़ी नम्बर–BR10D-3057 निबंधित है। इसलिए उनको पक्षकार बनाया गया है। लेकिन उन्होंने उक्त वाहन को नविन कुमार जयसवाल, सा0–लोहण्डिया, पो0–ललमटिया बाजार, थाना–ललमटिया, जिला–गोड्डा को बेच दिया है। 500रू0 मे स्टाम्प पेपर पर हस्तांतरण कागजात भी बना लिया है। ऐसी स्थिति में विपक्षी को उक्त आरोप से मुक्त किया जाय एवं नविन कुमार जयसवाल पर कोई कार्रवाई होता है तो विपक्षी को कोई आपत्ति नहीं है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रवितेदन से स्पष्ट होता है कि धारा–414/34 भा0द0वि0, 4/21 एम0एम0आर0डी0 एक्ट एवं 30(ii) कोल खान अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 1. टी0वी0एस0 स्पोर्टस, काला रंग का रजिस्ट्रेशन नम्बर–BR10AK-4771 के मालिक एवं चालक धर्मेन्द्र कुमार, पिता–योगेन्द्र कुमार यादव, सा0–खोशलपुर, पो0–परशुरामपुर, थाना–पीरपैंती, जिला–भागलपुर, बिहार 2. ब्जाज सीटी 100, ब्लू एवं काला रंग का रजिस्ट्रेशन नम्बर– BR10AB-6072 के मालिक एवं चालक मुकेश साह, पे0–लखन साह, सा0–बकियादिरा, थाना–बरारी, जिला–कटिहार, बिहार एवं 3. हीरो सीडी डिलक्स, हरा काला रंग का रजिस्ट्रेशन नम्बर–BR10D-3057 के मालिक एवं चालक प्रमोद कुमार शर्मा, पिता–बृजलाल शर्मा, सा0–कृष्ण दासपुर, थाना–कहलगांव, जिला–भागलपुर, बिहार के विरूद्ध सत्य पाया गया है।

अतः उपरोक्त काण्ड में जप्त वाहन 1. टी0वी0एस0 स्पोर्टस, काला रंग का रजिस्ट्रेशन नम्बर–BR10AK-4771 एवं उसमें लदे कोयला, 2. ब्जाज सीटी 100, ब्लू एवं काला रंग का रजिस्ट्रेशन नम्बर–BR10AB-6072 एवं उसमें लदे कोयला एवं 3. हीरो सीडी डिलक्स, हरा काला रंग का रजिस्ट्रेशन नम्बर–BR10D-3057 एवं उस पर लदे कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति थाना प्रभारी, ललमटिया, जिला खनन

पदाधिकारी, गोड्डा, जिला परिवहन पदाधिकारी, गोड्डा एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा को दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त
गोड्डा।

उपायुक्त
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2022.12.12 12:07:52 +05:30
Location: 172.27.0.1